<u>न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला -बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—46 / 2008</u> <u>संस्थित दिनांक—28.01.2008</u> फाईलिंग क.234503000452008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर, तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

लालचंद उर्फ लल्ला पिता भीखमलाल अजीत, उम्र—55 वर्ष, जाति गढ़ेवाल, निवासी—ग्राम पिपरिया, थाना बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — — <u>आरोपी</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-15/12/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—08.01.2008 को शाम 05:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत पुराना पेट्रोल पम्प के पास लोकमार्ग पर वाहन ट्रक कमांक—सी.जी—08/जेड. जेड.—0120 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए आहत हंसकुमार को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहृति कारित किया।
2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बैहर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रामकुमार ठाकुर को दिनांक—08.01.2008 को रोजनामचा सान्हा कमांक—331 की जांच हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर रवाना हुआ, जिसकी जांच पर पाया कि आहत हंसकुमार का रोड एक्सींडेन्ट हो गया है, जिसका मुलाहिजा करवाकर वाहन चालक आरोपी लोकचंद के विरुद्ध अपराध कमांक—4/2008, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस ने आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाकर विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत हंसकुमार की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा—338 भा.द.वि. का इजाफा किया

किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतू निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है :-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—08.01.2008 को शाम 05:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत पुराना पेट्रोल पम्प के पास लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक—सी. जी—08 / जेड.जेड.—0120 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत हंसकुमार को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— हंसकुमार (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2008 जनवरी माह की शाम 5:00 बजे पुराने पेट्रोल पम्प बैहर की बात है। घटना दिनांक को वह घर से अपने क्लीनिक गांधी चौक जा रहा था, तभी आरोपी की गाड़ी पेट्रोल पम्प से डीजल लेकर रोड पर आ रहा था, तब उसकी गाड़ी ट्रक से आगे धीमी गित से चल रही थी, क्योंकि सामने से मोटरसाईकिल आ रही थी, तभी आरोपी ने अपने ट्रक से उसकी मोटरसाईकल के पीछे वाले भाग को ठोस मारा, जिससे उसकी गाड़ी असंतुलित होकर गिर गई और ट्रक का चका उसकी गाड़ी के उपर आ गया और उसका दाहिना हाथ उसकी गाड़ी के नीचे दब गया। उक्त घटना से उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी। उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से हुई, यदि आरोपी ट्रक रोक लेता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती। घटना काफी लोगों ने देखे थे, कौन—कौन ने देखे थे उसे याद नहीं है। लोग दौड़े थे और उसे ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले गए थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। बैहर शासकीय अस्पताल से उसे जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर कर दिया गया था।

- 6— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास होना प्रकट नहीं होता है। इस कारण साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण भी प्रकट नहीं होता है।
- 7— डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि घटना दिनांक को ही पुलिस के द्वारा आहत हंसकुमार की चोटों का मुलाहिजा कराने हेतु पेश करने पर उसने उक्त आहत की चोटों का परीक्षण करने पर उसे शरीर में साधारण चोट के अलावा दाहिने हाथ की कलाई तरफ अस्थिमंग होने की संभावना के आधार पर एक्सरे कराने की सलाह दी थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 8— डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—11.01.2008 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत् था। दिनांक—08.01.2008 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत हंसकुमार पिता दाजीबा, उम्र—40 वर्ष, निवासी बैहर, थाना के दाहिने क्लेविकल (हसली) हड्डी तथा बांए हाथ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट कृमांक—113 था, जो आर्टिकल ए—1 है। आहत को डॉक्टर समद ने एक्सरे हेनु रिफर किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके दाहिने तरफ की क्लेविकल हड्डी में अस्थिमंग होना पाया था तथा बांये हाथ की हथेली की हड्डी में अस्थिमंग होना नहीं पाया था। उक्त बांए हाथ की एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए—2 है। उसकी एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्षीगण ने आहत हंसकुमार को घटना के समय बांए हाथ की हथेली में अस्थिभंग होने से उसे घोर उपहति कारित होने की पुष्टि की है।
- 9— सुभाष (अ.सा.2), पुनुदास (अ.सा.3), संतराम (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इन साक्षीगण ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना का समर्थन नहीं किया है और न ही जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन किया है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामकुमार ठाकुर (अ.सा.7) ने अपने मुख्य 10-परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-08.01.2008 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शासकीय अस्पताल बैहर की तहरीर प्रदर्श पी-3 आहत हंसकुमार की रोड एक्सीडेन्ट में भर्ती किये जाने हेतु सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका उसके द्वारा आहत हंसकुमार का मुलाहिजा कराकर मुलाहिजा रिपोर्ट प्राप्त कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-4/08, धारा-279, 337 भा.द.वि. वाहन क्रमांक-सी.जी-08 / जेड.सी-0120 का चालक लालचंद के विरूद्ध लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-09.01.2008 को डॉ. एच.के. पंवार की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-08.01.2008 को प्रार्थी/आहत हंसकुमार, साक्षी रंजित कटरे एवं दिनांक-13.01.2008 को बसंत उइके, रामू के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। दिनांक-09.01.2008 को लालचंद उर्फ लल्ला से साक्षियों के समक्ष वाहन कुमांक-सी.जी-08 / जेट.सी-0120 मय दस्तावेज जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी बताया कि आहत को गंभीर चोट होने के आधार पर उसने आरोपी के विरूद्ध धारा–338 भा.द.वि. का ईजाफा कर चालान पेश किया। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11— प्रकरण में एकमात्र साक्षी स्वयं आहत हंसकुमार (अ.सा.1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन करते हुए घटना का पूर्णतः समर्थन कर उसे आरोपी के द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए अस्थिभंग होकर घोर उपहित कारित किया जाना बताया है। उक्त तथ्य का बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। आहत हंसकुमार को घटना के समय अस्थिभंग कारित होने की पुष्टि चिकित्सीय साक्षीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य में की गई है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण ने अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है, किन्तु उक्त आधार पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है।

- 12— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में प्रस्तुत एकमात्र साक्षी आहत हंसकुमार (अ.सा.1) की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन चलाया जाना प्रमाणित है तथा उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाया जाकर आहत हंसकुमार को टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित होने के तथ्य का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। ऐसी दशा में यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय लोकमार्ग पर आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चालन कर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत हंसकुमार को घोर उपहित कारित की।
- 13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक—08.01.2008 को शाम 05:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत पुराना पेट्रोल पम्प के पास लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक—सी.जी—08/जेड.जेड.—0120 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए आहत हंसकुमार को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहित कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 14— आरोपी के द्वारा किया गया अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आरोपी के द्वारा वर्ष 2008 से विचारण का सामना किया जा रहा है और उसके विरूद्ध अन्य अपराध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण पेश नहीं है। अतएव प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को निम्नानुसार दिण्डत किया जाता है:—

धारा 🔊	<u> अर्थदंड</u> <u> </u>	व्यतिक्रम की दशा में
El an	1	<u>कारावास</u>
धारा—279 भा.दं.वि.	500 / —रूपये	एक माह का सादा
X		कारावास
धारा–338 भा दं.वि.	1,000 / —रूपये	एक माह का सादा
		कारावास

आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है। 15-

प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक 16-से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी-08/जेड.जेड.-0120 17-मय दस्तावेज के सुपुर्ददार फिरोज खान पिता अकबर, जाति मुसलमान, निवासी कम्पाउण्डरटोला बैहर, थाना बैहर, तहसील बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) and a state of the न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट